

26/3/18

आज यह पत्रावली कार्टे कोर्ट
प्रस्तुत है। समझाव के कारण
आज कोर्ट लिखावा नहीं जा
सक। आज पत्रावली कार्टे कोर्ट
दिनांक 10-04-18 को पेश हो।

10-04-18

आज यह पत्रावली कार्टे कोर्ट
प्रस्तुत है। कपीलापीठ एवं रेस्पॉन्डेंट
संख्या-1 द्वारा इस न्यायालय के
आदेश बालीनामा दिनांक 12/3/2018 इस
आदेश का प्रस्तुत हुआ कि कपीलापीठ
संख्या-1 गोपाल लाल व कपीलापीठ संख्या
2 उमेशचन्द्र एवं रेस्पॉन्डेंट संख्या-1
दिनेश कुमार मीणा के मध्य बालीनामा
हो गया है एवं बालीनामे के अनुसार
गुम पालड़ी मीणा, पत्नार हल्का
धुनिआवास, अ-डामिलेव निरीशठ क्षेत्र
गौनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
अफिल बाली ठपसरा नम्बर 6 रकबा
0.39 हेक्टर, ठपसरा नम्बर-7 रकबा
0.28 हेक्टर, ठपसरा नम्बर-8
रकबा 0.04 हेक्टर, ठपसरा नम्बर 9
रकबा 0.32 हेक्टर, ठपसरा नम्बर 10
रकबा 0.04 हेक्टर, ठपसरा नम्बर 11
रकबा 0.45 हेक्टर, ठपसरा नम्बर-12
रकबा 0.25 हेक्टर, ठपसरा नम्बर-13,



राजस्थान न्यायालय प्रशासन
जयपुर


रकबा 0.25 हेक्टर कुल किला 8 कुल रकबा 2.02 हेक्टर के संदर्भ में पारित निर्णय व डिस्ट्री जैर कपील दिनांक 22/5/2015 को विभाजन की हद तक स्वयंसेवा करमाया जाकर उपरोक्त शासकीय में कपीलापीठा सख्या 1 व 2 एवं रेस्पॉडेन्ट सख्या-1 को 1/3 - 1/3 भाग का बराबर-बराबर हिस्से का स्वतंत्र कार्रकार घोषित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अतः उक्तपक्षों के मध्य हुए शर्तनामे के परिपेश में प्रकरण का गुणावगुण पर परिश्रम किये वगैर प्रकाशन की सहमति से प्रकरण के निस्तारण की संज्ञा रखते हुए प्रार्थना पर शर्तनामा अनुसार निर्णय व डिस्ट्री जैर कपील दिनांक 22/5/2015 को विभाजन की हद तक निरस्त किया जाकर गुम पालडी मीणा, परवार हल्का लूनिपावास तहसील सांगानेर जिला लखपुर अफिल शासकीय ख.न. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 13 कुल किला 8 कुल रकबा 2.02 हेक्टर का कपीलान्त स. 1 गोपाल लाल कपीलान्त सख्या- 2 एवं रेस्पॉडेन्ट सख्या 1 दिनेश कुमार मीणा को 1/3 - 1/3 भाग का बराबर- बराबर हिस्से का स्वतंत्र कार्रकार मुलाबिक शर्तनामा घोषित किया जाता है।



राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दोकर बाड तबमील कार्खील सबलर हो।</p> <p>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर</p>	